(c) and (d) Yes, Sir. As per the recently revised liquid fuel policy, Kerala can set up new power projects based on F.O., condensate and orimulsion.

Review of the Allocation of Power to States

2376. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the time/year when last allocation of power has been reviewed;

(b) the guideline laid down in this regard; and

(c) by when Government propose to review the formula of allocation of power to the States?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) to (c) The formula for sharing of power from central sector thermal power stations and nuclear power stations was evolved in 1978 and the same is being generally followed. The formula of sharing of power from central sector hydro electric power stations was evolved in 1981 and modified in 1990 and the formula revised in 1990 is being used. The guidelines laid down in the formula are given in the Statement. *(see* below). The formula of allocation of power from central sector power stations is working satisfactorily and there is no proposal to revise the same at present.

Statement

(A) Criteria for allocation of power to the States from Central Sector Thermal/Atomic Power Stations

(i) 15 % of the power to be kept unallocated at the disposal of the Central Government for meeting the urgent requirements of the individual states in the region from time to time.

(ii) 10% power is allocated to the State in which the power station is located; and

(iii) The remaining 75% power is allocated amongst the States of the region (including the "Home State") in accordance with the energy consumed by, and the Central Plan assistance to the States during the last 5 years. The needs of the Union Terriories are also met through appropriate allocations.

(B) Present Criteria for allocation of power to the States from Central Sector Hydel Stations

(i) 15% of the generation capacity to be kept as "unallocated" at the disposal of the Central Govt. to be distributed within the region or outside, depending upon overall requirement;

(ii) 12% of power from the energy generated by the power station to be supplied free of cost to those States of the region (including the State where the hydro electric project is located), where distress like submergence, dislocation of population etc. is acrued due to setting up of the project at the specfic site, the allocation being made in proportion of the extent of such distress. The energy generated figures for the purpose to be calculated at the bus bar level, i.e. after discounting auxiliary consumption but without asking into account the transmission line losses. For the purpose of allocation of 12% free power, the extent of distress caused would be assessed by the Central Electricity Authority in consultation with the concerned States and;

(iii) The remaining power (73%) to be distributed between States of the region on the basis of the Central Plan assistance given to various States in the region during the previous 5 years and on the basis of consumption of electricity in the States of the

region in the previous 5 years, the two factors to be given equal weightage.

विद्युत क्षेत्र में प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य योजना

2377. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत वित्त निगम, राज्य विद्युत बोर्डों और निजी विद्युत उत्पादक उपक्रमों द्वारा चलाए जाने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कोई प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत निगम और निजी उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के निष्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और क्या इसके निष्पादन का कोई मूल्यांकन /समीक्षा की गई है;

(ग) विद्युत निगम द्वारा राज्यों को उनकी विभिन्न योजनाओं के लिए चालू वर्ष के दौरान दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य योजनाएं (ओएफएपी) विद्युत वित्त निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों, राज्य उत्पादन निगमों, पारेषण और वितरण कंपनियों, नगर-निगमों, राज्य विद्युत विभागों और संयुक्त क्षेत्र कंपनियों के लिए बनाई जाती हैं। ओएफपीए पंचवर्षीय योजनाओं से नहीं जुड़ी हुई हैं बल्कि सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का पता लगाती हैं।

(ख) विद्युत क्षेत्र में 28 यूटिलिटियों के संबंध में, ओएफएपी संगत हैं, जैसा कि विवरण-I से देखा जा सकता है। (नीचे देखिए) ओएफएपी के क्रियान्वयन से यूटिलिटियों को अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने में सहायता प्राप्त हुई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(i) 1995-96 के दौरान, 8 रा०बि०बो० नामशः एचपीएसईबी, के०ई०बी०, एमएसईबी, टीएनईबी और डब्ल्यूबीएसईबी ने राज्य सरकारों से प्राप्त आर्थिक सहायता से 3% लाभांश दर (आर ओ आर) प्राप्त की है।

(ii) आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य बिजली बोर्डों ने 1996-97 के दौरान टैरिफों को संशोधित किया तथा टैरिफ की सीमा में 8.33% से लेकर 37% तक की वृद्धि की।

(iii) कुछ बोर्डों ने अपने प्रचालनों को कम्प्यूटीकृत करना आरंभ कर दिया है।

(iv) ईंधन लागत समायोजन का पांच राज्यों में पूरी तरह से तथा कुछ अन्य राज्यों में आंशिक तौर पर स्वीकृति दी गई है।

(ग) 1998-99 के दौरान (मई, 1998 तक) विद्युत वित्त निगम द्वारा संवितरित निधियों का ब्यौरा विवरण-2 में संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(घ) राज्य/केन्द्र और निजी क्षेत्रों की 306.98 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन विभिन्न परियोजनाओं की सूची विवरण-3 में संलग्न है।

विवरण-I

ओएफएपी वाली यूटिलिटियों का विवरण

क्र०सं०	यूटिलिटियों का नाम	ओएफएपी निम्न-लिखित से प्रभावी
राज्य बिजली बोर्ड		
1.	एपीएसईबी*	जून, 95
2.	एएसईबी	दिसम्बर, 97
3.	जीईबी*	अप्रैल, 95
4.	एचपीएसईबी*	अप्रैल, 98
5.	एचएसईबी**	जून, 97
6.	केईबी*	जनवरी, 97
7.	केएसईबी	सितम्बर, 95
8.	एमपीबी	जनवरी, 98
9.	एमएसईबी	जनवरी, 92
10.	पीएसईबी*	जून, 96
11.	आरएसईबी*	मार्च, 92
12.	टीएनईबी*	अक्तूबर, 97
13.	यूपीएसईबी	जुलाई, 93
14.	डब्ल्यूबीएसईबी	अप्रैल, 96